कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

5.5 (UPM)

05 MAR 2019
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

सेवा में,

1. **कार्यपालक पदाधिकारी**
   नगर परिषद, किशनगंज
   जिला– किशनगंज
2. **जिला शिक्षा पदाधिकारी,**
   जिला– किशनगंज

A.T 6-3-19

महाशय,

नगर परिषद, किशनगंज के वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 58 / 18–19 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन के अपने कार्यालय से संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
06 MAR 2019
2749
संख्या..........
बिहार, पटना

भवदीय,

– ह0 –

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1476 7/270 **दिनांक–** 25-02-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. जिलाधिकारी, किशनगंज

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या– 58/18–19

भाग–1

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद, किशनगंज
2	लेखा की अवधि	16–17 से 17–18
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	16–17 से 17–18 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त माह सिंतबर 2016 एवं सितंबर 2017 की विस्तृत जाँच की गई। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	7.12.2018 से 18.12.2018 तक
5	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	**नाम** **अवधि** 1. श्री विनोद कुमार 22.2.14 से 6.7.17 2. मो0 इरफान आलम 6.7.17 से अबतक
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण:	1. श्री वरूण प्रकाश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री संतोष कुमार सिन्हा, स0ले0प0अ0 3. श्री राकेश कुमार–4, व0ले0प0
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री शशिधर कांत, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
9	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार विमर्श हुआ?	हाँ, दिनांक 22.12.18 को विचार–विर्मश किया गया। (कार्यपालक पदाधिकारी की उपलब्धता दिनांक 22.12.18 को थी)

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई **नगर परिषद किशनगंज** के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित हैं। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II

खंड– क– शून्य

खण्ड– ख

कंडिका 1 बिना निविदा आमंत्रित किए डस्टबीन का खरीद किया जाना रू0 19.52 लाख

नगर परिषद किशनगंज के डस्टबीन क्रय से संबंधित संचिका के जॉच में पाया गया कि नगर परिषद के द्वारा दिनांक 4.8.15 को 630 लीटर एवं 240 लीटर की क्षमता के डस्टबीन के क्रय हेतु दैनिक जागरण में निविदा प्रकाशित की गयी थी। निविदा के आलोक में 6 निविदादाताओं के द्वारा निविदा डाला गया था–

1. नील कमल लिमिटेड, बड़ी पहाड़ी, गया मोड़, पटना
2. मॉ जगदम्बा कंसट्रक्शन, के.पी. सरकार रोड, मीठापुर
3. रिलायबल इंटरप्राइजेज, मीठापुर, पटना
4. सिन्हा इंटरप्राइजेज, सिकनिया मोड़, गया
5. तिरूपति सेल्स, मीठापुर, पटना
6. प्रभात दयाल ओम प्रकाश, न्यू डाक बंगला रोड, पटना

दिनांक 4.9.15 को उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में क्रय समिति की बैठक आयोजित की गयी। टेक्नीकल बिड में सिर्फ एक निविदादाता रिलायबल इंटरप्राइजेज, मीठापुर, पटना ही सारी शर्तों को पूरा करता था। बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार टेक्नीकल बीड में एक ही निविदादाता के सफल होने पर पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था और रिलायबल इंटरप्राइजेज, मीठापुर, पटना को डस्टबीन आपूर्ति का आदेश दिया गया था। तकनीकी शर्तों से संबंधित तुलनात्मक विवरणी चार्ट में कुछ शर्त जो निविदा में नहीं मॉगे गए थे। उसे शामिल किया गया था जैसे– क. श्रम अनुज्ञप्ति ख. चरित्र प्रमाण पत्र। इससे इस बात की संभावना बलवती हो जाती है कि तुलनात्मक विवरणी में इन शर्तों के शामिल करने का उद्देश्य अन्य निविदादाताओं को निविदा से बाहर करना भी हो सकता है। श्री रिलायबल इंटरप्राइजेज, मीठापुर, पटना के द्वारा वित्तीय निविदा में जो दर अंकित किया गया था। उसमें सिंटेक्स ब्रांड के कैटलाग से संबंधित दर का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। इनके द्वारा लेटर पैड पर विभिन्न क्षमताओं के डस्टबीन का दर अंकित कर दिया गया था, जो संभवतः दरों को अधिक दिखाने के लिए किया गया था। निविदा में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में आपूर्ति की जानी है। इससे निविदा में पारदर्शिता का अभाव रहा। श्री रिलायबल इंटरप्राइजेज, पटना के द्वारा नगर परिषद किशनगंज को कई बार उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति की गयी एवं विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित भुगतान प्राप्त किया– 1. दिनांक 7.12.15 को 52,29,524/– 2. दिनांक 8.12.15 को 40,10,638/– 3. दिनांक 30.1.16 को 52,29,524.

दिनांक 26.12.16 को नगर परिषद की बैठक में पूर्व के निविदा दर पर 20 अदद 630 लीटर एवं 80 अदद 240 लीटर कूड़ादान क्रय की स्वीकृति दी गयी। श्री रिलायबल इंटरप्राइजेज, पटना के द्वारा किशनगंज नगर परिषद को दिनांक 3.1.17 को 17 अदद 630 लीटर का कूड़ादान प्रति कूड़ादान 38207/– के दर से एवं 80 अदद 240 लीटर का कूड़ादान प्रति कूड़ादान रू. 16037/– का आपूर्ति किया गया। किशनगंज नगर परिषद के द्वारा दिनांक 13.2.17 को चेक सं0 ए 571001 के द्वारा 19,51,872 का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा दल के द्वारा जब इंटरनेट से श्री रिलायबल इंटरप्राइजेज के द्वारा आपूर्ति किए गए सिंटेक्स ब्रांड मॉडल सं0 जी0बी0आर0डब्लू 24–01/240 ली0 एवं जी0बी0आर0डब्लू0 63–.01/630 लीटर की कीमत की जॉच की गयी तो 240 लीटर के डस्टबीन की कीमत रू. 5880/– दिखाया जा रहा था एवं 630 लीटर के डस्टबीन की कीमत रू. 24220/– दिखाया जा रहा था।

अंकेक्षण आपत्ति

1. नगर परिषद के द्वारा डस्टबिन की आवश्यकता होने पर पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर डस्टबीन की खरीद की जानी चाहिए थी।
2. नगर परिषद के द्वारा सिंटेक्स कंपनी के उपरोक्त मॉडल सं0 जी0बी0आर0डब्लू 24–01 एवं जी0बी0आर0डब्लू0 63–.01 के कीमत की जॉच इंटरनेट के माध्यम से भी की जा सकती थी। ऐसा नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद को रू0 10,50,339/– { (16037–5880) गुणा 80 = 812560, (38207–24220) गुणा 17 = 237779} का संभावित नुकसान उठाना पड़ा।
   आपति के जवाब में कहा गया कि तत्काल क्रय की आवश्यकता को देखते हुए बोर्ड द्वारा पुराने दर पर खरीद की गयी। अतः नगर परिषद के द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित नहीं कर प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर खरीद नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद को रू0 10,50,339/– का नुकसान उठाना पड़ा।

कंडिका– 2 एक बार निविदा आमंत्रित कर बार– बार हाउसहोल्ड डस्टबीन का खरीद किया जाना एवं अधिक भुगतान रू0 17.91 लाख

नगर परिषद, किशनगंज के हाउसहोल्ड डस्टबीन क्रय से संबंधित संचिका के जॉच में पाया गया कि नगर परिषद के द्वारा दिनांक 30.3.16 को 20 लीटर की क्षमता के हाउसहोल्ड डस्टबीन के क्रय हेतु दैनिक जागरण में निविदा प्रकाशित की गयी थी। निविदा के आलोक में 3 निविदादाताओं के द्वारा निविदा डाला गया था–

1. पैंथर यूनिट इन्फ्रास्ट्रक्चर, पटना
2. आर्या कॉरपोरेशन, जय प्रकाश नगर, पटना
3. रिलायबल इंटरप्राइजेज, मीठापुर, पटना

दिनांक 30.4.16 को क्रय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें टेक्नीकल बीड में पैंथर यूनिट इन्फ्रास्ट्रक्चर, पटना एवं रिलायबल इंटरप्राइजेज, पटना को सफल घोषित किया गया। तत्पश्चात समझौता द्वारा स्वीकृत दर के आधार पर घरेलू कूड़ा कचड़ा व्यवस्था हेतु 570/– रू0 प्रति अदद डस्टबीन सभी कर सहित रिलायबल इंटरप्राइजेज मीठापुर, पटना से 10,000 एवं पैंथर यूनिट इन्फ्रास्ट्रक्चर, पटना से रू. 5982/– हाउस होल्ड डस्टबीन की खरीद की गयी।

पुनः दिनांक 25.2.17 को नगर परिषद की बैठक में पूर्व के निविदा दर पर 16000 अदद 20 लीटर क्षमता वाले कूड़ादान क्रय की स्वीकृति दी गयी। श्री रिलायबल इंटरप्राइजेज, पटना के द्वारा किशनगंज, नगर परिषद को विपत्र सं0 6/17–18 एवं 7/17–18 के द्वारा कुल 16000 कूड़ादान का आपूर्ति किया गया। किशनगंज नगर परिषद के द्वारा दिनांक 12.4.17 को चेक सं0 ए 571035 के द्वारा 86,89,810 का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा दल के द्वारा जब इंटरनेट से श्री रिलायबल इंटरप्राइजेज के द्वारा आपूर्ति किए गए सिंटेक्स ब्रांड मॉडल सं0 बी0के0टी0 02–01/20 ली0 की कीमत की जॉच की गयी तो 20 लीटर के डस्टबीन की कीमत रू. 514/– 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित दिखाया जा रहा था।

अंकेक्षण आपत्ति

1. नगर परिषद के द्वारा डस्टबिन की आवश्यकता होने पर पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर डस्टबीन की खरीद की जानी चाहिए थी।
2. नगर परिषद के द्वारा सिंटेक्स कंपनी के उपरोक्त मॉडल सं0 बी0के0टी0 02–01 के कीमत की जॉच इंटरनेट के माध्यम से भी की जा सकती थी। ऐसा नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद को रू0 17,90,992/– { (570–514) गुणा 31982 = 17,90,992} का संभावित नुकसान उठाना पड़ा।

आपति के जवाब में कहा गया कि तत्काल क्रय की आवश्यकता को देखते हुए बोर्ड द्वारा पुराने दर पर खरीद की गयी। अतः नगर परिषद के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरो पर खरीद नहीं कि जाने के कारण नगर परिषद को रू0 17,90,992/– का नुकसान उठाना पड़ा।

कंडिका– 3 SPUR योजना के क्रियान्वयन पर अनियमित व्यय रू 730500 एवं संवर्द्धन समितियो द्वारा राशि की वापसी नहीं रू 3601112

नगर परिषद किशनगंज के द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्पर योजना से संबंधित संचिकाओ के नमूना जॉच में पाया गया कि नगर विकास एवम आवास विभाग, पटना के पत्रांक SPUR/PMU/147/SVS/2014/922 DATED 05.01.2015 के आलोक मे नगर परिषद द्वारा क्षेत्राधिकार अंतर्गत विभिन्न सामूहिक विकास समितियो से मलिन बस्तीयो मे शौचालय एवम चापाकल निर्माण कार्य हेतु अनुबंध/करार की गयी। अनुबंध की शर्तो के अनुसार प्रस्तावित कार्य को 01 वर्ष के अंदर पूर्ण किया जाना था। समिति को यह सुनिश्चित करना था कि वह परिषद कार्यालय को लाभार्थियों की सूचि उपलब्ध कराये एवं नगर विकास मे उपयोगिता प्रमाण पत्र/खर्च का विवरण जमा करे। जबकि मार्गदर्शिका के अनुसार नगर परिषद को कार्य की प्रगति और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी और निरीक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी। खर्च की जाने वाली रशि को 3 अथवा 04 किश्तो मे कार्य की संतोषजनक प्रगति/भौतिक सत्यापन व उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के पश्चात उतरोत्तर प्रदान करना था। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना की समापति राज्य सरकार द्वारा 31.3.2017 को की जा चूँकि थी।

अंकेक्षण को उपलब्ध करायी गयी संचिकाओ के जॉच के कम में पाया गया कि कुल 09 ऐसी समिति थी जिन्हे परिषद कार्यालय द्वारा प्रदान की गयी किश्त, लाभुक से प्राप्त अंशदान एवम बैंक से प्राप्त सूद के रूप मे कुल 10852812 की प्राप्ति हुई जिसमें से इन समितियो द्वारा कुल 7251700 योजना मद मे खर्च करने के उपरांत अवशेष राशि रू 3601112 परिषद कार्यालय को वापस नहीं की गयी। अनुबंध की शर्तो के अनुसार इन समितियो को कुल 590 शौचालय एवम 27 चापाकल का निर्माण करना था जिसके विरूद्व केवल 331 शौचालय का निर्माण किया गया जबकि चापाकल अधिष्ठापन का कार्य किसी भी समिति द्वारा नही की गयी।

(विवरणी परिशिष्ट– 1 पर संलग्न)

पुनः जॉच के कम मे पाया गया कि वार्ड न0 23 मे अंसारी टोला संवर्धन समिति को चेक संख्या 957104 दिनांक 16.3.16 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप मे रू 319168 प्रदान की गयी थी जिसकी भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के बगैर ही उपयोगिता प्रमाणपत्र स्वीकार की गयी साथ ही प्रथम किश्त की राशि रू 106388 के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन मे इन बातो का उल्लेख नहीं था, कि कितने शौचालयों का निर्माण किया गया। जबकि समिति द्वारा योजना पर कुल रू 404500 के व्यय अथवा उपयोगिता को प्रतिवेदित किया गया था जो अनियमित हैं। इसी प्रकार वार्ड न0 23 सलीम बगीचा समिति द्वारा भी व्यय की गयी राशि रू 326000 की भौतिक सत्यापन व उपयोगिता मे राशि की उपयोगिता का उल्लेख है किन्तु राशि किस प्रयोजनार्थ खर्च की गयी है इसका उल्लेख नहीं है। परिषद कार्यालय द्वारा वार्ड न0 31 पोठीया ढेका भिन्जा एवम वार्ड न0 15 कागजिया मोहल्ला संवर्धन समिति को इस संबंध मे पत्राचार नहीं की गयी जबकि राशि की वापसी हेतु उक्त 09 समिति मे से किसी को भी नोटिस निर्गत नहीं की गयी जबकि योजना की समाप्ति लगभग 02 वर्ष पूर्व हो चूकि थीं।

स्पष्ट है कि नगर परिषद कार्य की प्रगति और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी और निरीक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से उक्त मामलो मे उदासीन रही।

जवाब में कहा गया कि जॉचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः मामले की विस्तृत जॉच की जाए एवं राशि रू 3601112 की वापसी सुनिश्चित की जाए। साथ ही अंसारी टोला एवम सलीम बगीचा संवर्धन समिति को भुगतान की गयी राशि रू 730500 की

समायोजन/वापसी सुनिश्चित की जाए तथा फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाए।

<u>कंडिका– 4 समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निष्फल/निरर्थक व्यय रू 177.88 लाख</u>

बिहार सरकार नगर विकास एवम आवास विभाग के पत्रांक–04/IHSDP/2013/1675 DATED 23.7.14 के आलोक में नगर निकाय के माध्यम से शहरी क्षेत्र के मलिन बस्तियो मे रहने वाले लोगो के लिए आवास का निर्माण सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित कर किये जाने की रूपरेखा बनायी गयी थी। मार्गदर्शिका के अनुसार मलिन बस्तियों में सामुदायिक अभिप्रषण, पड़ोसी समुहों एवं मलीन बस्ति स्तरीय सामुहिक विकास समिति बनाने के लिए गैर–सरकारी संस्थाओ की नियुक्ति नगर निकाय द्वारा की जानी थी जिन्हे सामुहिक विकास समितियो के पंजीकरण कराने, राष्ट्रीयकृत बैंक मे लाभार्थियो के बैंक खाते खुलवाने, कार्यक्रम के अनुश्रवण, लागू करने एवम सामुहिक विकास समितियो के क्षमतावर्द्धन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी। नगर निकाय की परियोजना प्रबंधन इकाई सामुहिक विकास समितियो के निर्माणकार्य की पर्यवेक्षण/मापी/गुण नियंत्रण संबंधी तकनिकी सहायता मुहैया करायेगी तथा लाभार्थियों को राशि विमुक्त कराने की अनुशंसा करेगी। लाभार्थी निर्माण के लिए प्रथम किश्त की राशि विमुक्त करने हेतु विहित प्रपत्र मे अधियाचना सामूहिक विकास समिति को प्रस्तुत करेंगें जिसे सामुहिक विकास समिति नगरपालिका अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

नगर निकाय प्रत्येक गैर सरकारी संस्था, परियोजना प्रबंध इकाई तथा सामुहिक विकास समिति द्वारा कार्य की प्रगति की समीक्षा दो सप्ताह मे एक बार नियमित रूप से बैठक कर इसकी प्रतिवेदन सचिव नगर विकास एवम आवास विभाग को समर्पित करेंगें।

गैर सरकारी संगठन, सामुहिक विकास समिति और पडोसी समूहो की साप्ताहिक बैठक मे सभी लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगें और बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति को नगर विकास एवम आवास विभाग को राशि की विमुक्ति के मॉग स्वरूप प्रस्तुत किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के हो रहे कार्य के लिए एक स्थल पंजी रखेंगे जिसमें कार्य की गुणवत्ता एवम प्रगति के बारे मे की गयी टिप्पणी दर्ज की जायेगी। यह स्थल पंजी सामुहिक विकास समिति की अभिरक्षा मे रहेगी।

गैर सरकारी संगठन प्रत्येक महीना योजना की जन सुनवाई आयोजित करेंगे व योजना की प्रगति पर सभी लाभार्थियों की टिप्पणीयें को अभिलेखित करेंगे। इस बैठक मे सभी लाभार्थियो को योजना का ब्यय विवरणी उपलब्ध कराया जायेगा। नगर निकाय योजना के कार्य के विभिन्न चरणों के फोटोग्राफ निरीक्षण हेतु संधारण करेंगे जिसे राशि की विमुक्ति हेतु विभाग मे समर्पित करना था।

नगर परिषद किशनगंज द्वारा समेकित आवास एवम मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम से संबंधित उपलब्ध करायी गयी अभिलेख यथा योजना पंजी, रोकड़बही व लाभुकों की सूची आदि के जॉच के क्रम में पाया गया कि कुल चयनित 1255 लाभुको में से 109 ऐसे थे जिन्हें द्वितीय अथवा अंतिम किश्त की भुगतान अग्रिम के रूप में नहीं की गयी थी जिसकी विवरणी इस प्रकार है –

वार्ड संख्या	वैसे लाभुक जिन्हे सिर्फ प्रथम किश्त दी गयी।	वैसे लाभुक जिन्हे सिर्फ प्रथम एवम द्वितीय किश्त दी गयी	प्रथम किश्त के रूप मे भुगतान की गयी राशि	प्रथम एवम द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान की गयी राशि	प्रथम एवम द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान की गयी राशि
3		2		170000	340000
5		1		170000	170000
8		3		170000	510000
9		4	64000	170000	680000
10	1	7	64000	170000	1190000
11		8		170000	1360000
15		3		170000	510000
19	1	6	64000	170000	1020000
20	1	6	64000	170000	1020000
21		4		170000	680000
22		2		170000	340000
27		4		170000	680000
28		7		170000	1190000
29		5		170000	850000
31	3	18	192000	170000	3060000
32		8		170000	1360000
33		10		170000	1700000
34		4		170000	680000
कुल	7	102	448000		17340000

विवरणी से स्पष्ट है कि उक्त योजना में कुल 7 ऐसे लाभुक थे जिन्हे प्रथम किश्त 64000 प्रति लाभुक की दर से कुल रू 448000 प्रदान की गयी जबकि 102 लाभुक ऐसे थे जिन्हें प्रथम किश्त 64000 एवं द्वितीय किश्त 106000 की दर से कुल 170000/लाभुक भुगतान कर कुल रू. 17340000 भुगतान की गयी। इस प्रकार कुल 109 लाभुकों पर भुगतान की गयी राशि 17788000 अंतिम किश्त 43000 के भुगतान के आभाव में निष्फल/निरर्थक रही और योजना अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने मे असफल रही।

लेखा परीक्षा द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों को प्रस्तुत करने की मॉग की गयी–;

1 उक्त 109 लाभुको की संचिका।

2 गैर सरकारी संगठन/सामुहिक विकास समिति द्वारा प्रत्येक वार्ड मे संधारित स्थल पंजी जिसमें कार्य की गुणवत्ता एवम प्रगति प्रतिवेदित की गयी हो।

3 गैर सरकारी संगठन/सामुहिक विकास समिति द्वारा मासिक जन शिकायत, अथवा लाभार्थी द्वारा योजना के अपूर्ण होने की स्थिति में की गयी टिप्पणी से संबंधित पंजी एवम उन शिकायतो के निवारण हेतु किये गये प्रयासो से संबंधित संचिका।

4 चयनित लाभुकों एवं डी0पी0आर0 की सूची।

5 नगर निकाय द्वारा अपूर्ण पड़े आवासो के पूर्ण करने हेतु नगर विकास एव आवास विभाग से की गयी पत्राचार की प्रति।

किन्तु उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।

जवाब में कहा गया कि सरकार से राशि की मॉग की जा चुकी है। राशि प्राप्त होने पर शेष योजनाओं को भी पूरा कर लिया जायेगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बिहार सरकार के पत्रांक 634 दिनांक 01/04/2016 के अनुसार उक्त योजना की विस्तारित अवधि 31.3.2017 को समाप्त हो चुकी है एवं राज्य सरकार से अबतक राशि की प्राप्ति नहीं हुई है। अत; राशि के आभाव मे योजना पर व्यय की गयी राशि रू 17788000 का व्यय निष्फल/निरर्थक था।

कंडिका– 5 चालान पंजी से प्राप्त राशि को नगरपालिका निधि मे जमा नहीं किया जाना रू. 895502

नगर परिषद, किशनगंज के द्वारा प्रस्तुत कोषागार चलान पंजी एवं लेखापाल रोकडबही के मिलान के क्रम मे पाया गया कि विभिन्न स्रोतो से प्राप्त कुल राशि रू. 895502 नगरपालिका निधि मे जना नही की गयी थी। जिसकी विवरणी इस प्रकार है–

क्रम संख्या	चलान प्राप्ति संख्या/तिथि	राशि	प्रयोजन
1	376/27.8.16	13162	होल्डिंग टैक्स
2	448/22.12.16	17500	बी0 ओ0 क्यू0 की राशि
3	481/21.2.17	83344	भवन कर
4	510/29.3.17	7478	होल्डिंग टैक्स
5	606/30.6.17	162682	भवन कर
6	607/30.6.17	611336	भवन कर
	कुल राशि	**895502**	

जवाब मे कहा गया कि बैंक से पत्राचार किया गया है। जवाब से स्पष्ट है कि राशि लेखापरीक्षा अवधि तक नगरपालिका निधि मे जमा नहीं की गयी है। चालान पंजी से जमा राशि नगर परिषद निधि में जमा नहीं होने की स्थिति में नगर परिषद को रू0 895502/– का नुकसान है। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि इसकी तत्काल जमा सुनेश्चित की जाए।

कंडिका– 6 संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं रू 3656000/ शुल्क बकाया रहना

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) अनुसार नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क रू 40000/ प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रू. 10000/ प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरो को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नगर निकाय द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत 46 मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर रू0 3656000.00 शुल्क बकाया था। जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	टावर /जमीन मालिक का नाम	टावर की सं0	पंजीकरण शुल्क	बाकी किराया	कुल बाकी
1.	ए0टी0सी0 टावर कारपोरेशन	1	80000	100000	180000
2.	बी0एस0एन0एल0	6	240000	670000	910000
3.	टाटा इंडिया	5	40000	406000	446000
4.	रिलायंस	4	160000	470000	630000
5.	एयरटेल	8	120000	100000	220000
6	एयरसेल	7	—	660000	660000
7	वोडाफोन	7	—	610000	610000
				कुल —	3656000

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अपंजीकृत टावरों को पंजीकृत करने एवं बकाया शुल्क रू 3656000.00 की वसूली नहीं किया गया था।

   आपत्ति के जवाब मे कहा गया कि न्यायालय में वाद रहने के कारण वसूली नहीं की गयी। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि यथोचित कार्रवाई यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना लेखा परीक्षा कार्यालय को दिया जाय।

कंडिका– 7 अग्रिम रू0 7.28 लाख

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 318 के अनुसार एक अग्रिम के समायोजन हेतु लम्बित रहने पर दूसरा अग्रिम देने का प्रावधान नहीं है। साथ ही बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 611 के अनुसार 6 माह के अन्दर अग्रिम के समायोजन अभिश्रव के रुप में या नकद के रुप में वापस किया जाना अपेक्षित होता है।

नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत अग्रिम पंजी के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.3.18 को अग्रिम के रुप में रु 727845 विभिन्न व्यक्तियों के पास अग्रिम के रुप में लम्बित था। अग्रिम के समायोजन हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में असमायोजित अग्रिमों का होना किसी बड़ी वित्तीय अनियमितता का सूचक है। इसे त्वरित एवं यथोचित प्रकिया से सक्षम पदाधिकारी द्वारा समायोजन या वसूली किया जाना आवश्यक है। विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	अग्रिम की तिथि	राशि
1	श्री बादल मल्लिक, सफाई कर्मी	18.6.16	75445/–
2	मु0 आशा देवी, सफाई कर्मी	3.05.17	40800/–
3	मु0 उर्मिला देवी, सफाई कर्मी	03.05.17	40800/–
4	मु0 भागमनी देवी, सफाई कर्मी	3.5.17	40800/–
5	श्री संजीव कुमार साहा, सहायक	13.4.17 24.10.17 23.2.17 20.2.18	30000/– 150000/– 40000/– 80000/–
6	श्री संतोष राय, जमादार	16.8.17 29.8.17 4.12.17	100000/– 100000/– 30000/–
		कुल	727845/–

उपर्युक्त अग्रिमों का समायोजन नहीं किए जाने के कारणों एवं समायोजन हेतु किए गए प्रयासों से लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जाय।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि अग्रिम राशि के समायोजन की प्रक्रिया की जा रही है। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि अग्रिम के समायोजन की कार्रवाई यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना लेखापरीक्षा कार्यालय को दिया जाय।

कंडिका– 8 अनुज्ञप्ति शुल्क की बकाया राशि रू 0.33 लाख

नगर परिषद किशनगंज द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुंत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.18 को रू 32707/– की राशि बकाया था।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि बकाया अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः राशि की वसूली की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय एवं इसकी सूचना लेखापरीक्षा कार्यालय को दी जाय।

कंडिका– 9 मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की वसूली नहीं रू0 11500/–

बिहार सरकार के निर्देशानुसार सैरातों की बन्दोबस्ती किए जाने की स्थिति में बंदोबस्ती राशि का 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं 5 प्रतिशत निबंधन शुल्क की राशि की वसूली किया जाना था। परंतु सैरात बंदोबस्ती की संचिका की जॉच में पाया गया कि निम्न बंदोबस्ती में बंदोबस्तीधारियों से राशि की कम वसूली नहीं की गयी थी।

कम सं0	सैरात का नाम	बंदोबस्ती की राशि	जमा मुद्रांक शुल्क	बकाया मुद्रांक शुल्क
2016–17				
1	रिक्शा ठेला/चालक निबंधन	115000/–	शून्य	11500/–

अंकेक्षण टिप्पणी

1. मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के रूप में रू. 11500 की राशि वसूल नहीं किया गया था ।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि बकाया मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वसूली की कार्रवाई अविलंब की जाय एवं इसकी सूचना लेखापरीक्षा कार्यालय को दिया जाय।

कंडिका– 10 नगर परिषद के अंतर्गत सैरातों की बंदोबस्ती नहीं हो पाने के कारण कारण राजस्व की हानि रू. 2.17 लाख

नगर परिषद, सारण के वर्ष 2017–18 के सैरात बंदोबस्ती संचिका / पंजी की जॉच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद के अंतर्गत आनेवाले कई सैरातों की बंदोबस्ती नहीं हो पाया जिससे नगर परिषद को रू0 217000.00 के संभावित राजस्व की हानि हुई । विस्तृत विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा की राशि
1	माधव नगर, मांस–मछली बाजार	102000/–
2	रिक्शा ठेला/चालक निबंधन	115000/–
	कुल	217000/–

अंकेक्षण टिप्पणी–

(1) सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं हो पाने के कारण सरकार को कुल 217000.00 रू0 के संभावित राजस्व की हानि हुई ।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि डाकधारी द्वारा डाक नहीं लेने के कारण समयाभाव को देखते हुए विशेष परिस्थिति में विभागीय कार्रवाई की गयी। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि भविष्य में इन सैरातों की बंदोबस्ती हेतु प्रयास किया जाय।

कंडिका– 11 सरकारी भवनों पर बकाया किराया – रू0 35.09 लाख

नगर परिषद किशनगंज के द्वारा उपलब्ध करायी गई विवरणी के अनुसार नगर परिषद किशनगंज में अवस्थित सरकारी भवनों पर कुल रू0 3508954.00 की राशि किराए के रूप में बकाया था।

सरकारी भवनों पर बकाया राशि की वसूली नहीं किया गया था।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि बकाया वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि सरकारी भवनों पर बकाया राशि की वसूली यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना लेखापरीक्षा कार्यालय को दिया जाय।

कंडिका– 12 मुख्य (भवन) कर की बकाया राशि रू 41.37 लाख

नगर परिषद किशनगंज के द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.18 को गृह कर रू0 4137070.00, शौचालय कर रू0 11655.44 एवं जल कर रू0 53152.00 बकाया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. गृहकर के रूप में बकाया राशि रू0 4137070.00, शौचालय कर रू0 1165544.00 एवं जलकर रू0 53152.00 की वसूली नहीं किया गया था।

   आपति के जवाब में कहा गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि राशि की वसूली की कार्रवाई यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को दी जाय।

कंडिका– 13 बकाया दुकान किराया रू 216599

नगर परिषद किशनगंज द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर परिषद द्वारा आवंटित दुकान के दुकानदारों पर दिनांक 31.03.2018 को कुल राशि रू 216599 किराया बाकी है। विस्तृत विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	दुकान का विवरण	कुल दुकानों की संख्या	31.03.2013 को बकाया राशि
1.	पुराना मांस मछली बाजार	2	10340/–
2.	अस्पताल रोड	5	20400/–
3.	आउटफौल ड्रेन	9	70025/–
4.	उत्कर्ष बाजार	4	25423/–
5.	अभिनव बाजार	1	1012/–
6.	धरमगंज नेहरू पार्क	1	17604/–
7.	निअर थाना	1	2304/–
8.	वीर कुंवर सिंह बस पडाव	12	59664/–
9.	डे मार्केट सब्जी मार्केट	3	9827/–
	कुल	38	216599/–

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. दुकान किराया के रूप में कुल रू 216599/– वसुल नहीं किया गया था।
   आपत्ति के जवाब में कहा गया कि बकाया दुकान किराया वसूलो की कार्रवाई की जा रही है। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि बकाया दुकान किराया वसूली की कार्रवाई यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को दिया जाय।

कंडिका– 14 Posts of teachers under various categories remained vacant

Teachers posts remained vacant.

As per provision of Bihar Nagar Nikay Secondary and Higher Secondary (appointment and service conditions) Rules 2012 and under such Revised Rules the candidates qualified in the Teacher Eligibility Test were to be appointed to the post of Secondary/Higher Secondary Teacher and Librarian and as per provision of Rule 6 (ix)(a) of Secondary and higher secondary (niyojan and service condition-revised) Rule, 2016 it was observed in letter No. 924 dated 09.06.2016 of Director (Secondary education), Education department, Bihar, Patna and Memo No. 488 dated 18.06.2016 of District Programme Officer (Establishment), Kishanganj that after three round of calling applications and camping, out of 98 vacancies (secondary =24, +2 =74) only 56 vacancies could be fulfilled and leaving 42 vacacies unfulfilled (secondary = 8, higher secondary = 38) which comes to

only 46.93 percent of achievement. In this way 42 posts of secondary and higher secondary teachers remained vacant against 98 allotted vacancy as detailed below:-

(a) Seat remains vacant due to want of guidance from Government

Following 11 seats of teachers remained vacant due to want of guidance from Government.

Subject	UR	BC	EBC	SC	ST	Total	Reasons
Secondary (8 to 10)							
Science	1	-	-	-	-	1	To seek guidance
Social Science	-	-	-	1	-	1	To seek guidance
						2	
Higher Secondary (10+2)							
NRB	5	1	2	1	-	9	To seek guidance
						9	

Neither the guidance was received from the government nor the seats of teachers were fulfilled.

(b) Seat remains vacant due to seat kept reserve for applicant from Jammu University

Following 02 seats of teachers were remains vacant due to seat kept reserve for applicant from Jammu University:-

Subject	UR	BC	EBC	SC	ST	Total	Reasons
Secondary (8 to 10)							
Social Science	-	-	-	1	-	1	Seat reserve for Jammu University
Urdu	1	-	-	-	-	1	Seat reserve for Jammu University
						2	

The above seats of teachers remained vacant due to seat kept reserved for applicant from Jammu University.

(c) Seat remains vacant due to applicant not available, not present in counseling, applicant not applied and applicant not joined after getting appointment.

Following 29 seats of teachers were remained vacant due to applicant not available, not present in counseling, applicant not applied and applicant not joined_after getting appointment:-

Subject	UR	BC	EBC	SC	ST	Total	Reasons
Secondary (8 to 10)							
Hindi	-	-	-	1	-	1	SC applicant not available
Hindi	-	-	1	-	-	1	Applicant not present in counselling
Music	-	-	1	-	-	1	Applicant not present in counselling
Fine Art	1	-	-	-	-	1	Applicant not present in counselling
						4	
Higher Secondary (10+2)							
Chemistry	1		1			2	Applicant not applied
Math	2	-	1	-	-	3	Applicant not applied
Physics	2	-	1	-	-	3	Applicant not applied
Geography	1	-	-	-	-	1	Applicant not present in counselling
Home Science	1	-	-	-	-	1	Applicant not present in counselling
Psychology	2	-	1	-	-	3	Applicant not present in counselling
Sociology	1	-	1	-	-	2	Applicant not present in counselling
EPS	1	-	-	-	-	1	Applicant not present in counselling
English	1	-	1	-	-	2	Applicant not present in counselling
Bangla	1	-	1	-	-	2	Applicant not applied
Hindi	1	-	-	-	-	1	Applicant not present in counselling
Urdu	-	-	-	1	-	1	Applicant not applied
Music	1	-	1	-	-	2	Applicant not present in counselling
Computer	1	-	-	-	-	1	Applicant not joined
						25	

In its reply the Nagar Parishad stated that due to reasons stated in the statement the vacancies could not be filled timely.

(d) Availability of seats and selection/ vacancies for the Basic Grade(1 to 5) and Graduation Grade (6 to 8) for other subjects was not made available to audit till date.

कंडिका– 15 Posts of teachers under various categories shown as vacant after its fulfilment a round/camp.

In course of test check of records of Nagar Parishad, Kishanganj, it was observed that after each phase of recruitment process and fulfilment of a seat of teachers in their respective categories and subject, 8 seats in Secondary and 26 seats in Higher Secondary were shown as vacant after fulfilment of that respective categories and subject vide details as under:-

Secondary (8 to 10)								
Subject	UR	BC	EBC	SC	ST		Total	Reasons
Science	-	-	1	-	-	-	1	3 rd camp
Math	1	1	-	-	-	-	2	3 rd camp 23.02.15
Sanskrit	-	-	1	1	-	-	2	1 st camp 31.01.14
Social science	2	-	1	-	-	-	3	3 rd round
	-	-	-	0	-	-	0	
							8	
Higher Secondary (10+2)								
Chemistry	1	-		-	-	-	1	4 th camp 23.03.15
Economics	1	-	1	-	-	-	2	4 th camp 23.03.15
Geography	1	-	-	-	-	-	1	4 th camp 23.03.15
History	-	1	-	1	-	-	2	1 st camp
	-	-	2	-	-	-	2	2 nd camp
	1	-	-	-	-	-	1	3 rd camp
	-	-	1	-	-	-	1	4 th camp
Home science	2	-	-	-	-	-	2	1 st camp
	1	-	-	-	-	-	1	4 th camp
Philosophy	1	-	-	-	-	-	1	1 st camp
Pol. Science	2	1	-	1	-	-	4	1 st camp
	1	-	-	-	-	-	1	4 th camp
Sociology	1	-	-	-	-	-	1	4 th camp
Accounting	1	-	-	-	-	-	1	4 th camp
EPS	1	-	-	-	-	-	1	4 th camp
Hindi	1	-	-	-	-	-	1	1 st camp
	1	-	-	-	-	-	1	4 th camp
Urdu	1	-	1	-	-	-	2	1 st camp
							26	

In its reply the Nagar Parishad stated that the Niyojan process has been done in light of vacancies conveyed by the DPO (Establishment), Kishanganj from time to time.

The data for the Basic Grade (1 to 5) and Graduation Grade(6 to 8) is not made available to audit till date.

भाग–3

टिप्पणी– 1 स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

नगर परिषद किशनगंज में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति निम्न थी–

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1.	अधिदर्शक	2	–	2
2.	स्वच्छता निरीक्षक	1	–	1
3.	प्रधान सहायक सह लेखापाल	1	1	–
4.	कर दारोगा	1	1	–
5.	लिपिक (सहायक)	5	1	4
6	पेशाकर लिपिक	01	–	1
7.	अनुज्ञप्ति लिपिक	1	–	1
8.	तहसीलदार	7	2	5
9.	मलवह निरीक्षक	2	–	2
10	नोहर्रिर	2	–	2
11	भंडारपाल	1	–	1
12	जमादार	4	–	4
13	कार्ट सरदार	4	2	2
14	कार्यालय अनुसेवक (पिउन)	1	1	–
15	कर अनुसेवक	4	–	4
16	अनुसेवक	2	2	–
17	टैक्टर चालक	1	1	–
18.	पाछक	1	–	1
19.	रोड पिउन	1	–	1
20	अर्दली	1	–	1
21	चरवाहा	1	–	1
22	माली	1	–	1
23.	खलासी	1	–	1
24	वर्क सरदार	1	–	1
25	टैंड दाई	1	–	1
26	जलशोधक	1	–	1
27	रात्रि प्रहरी	1	1	–
28	सफाई कर्मी	88	23	65
	कुल	138	35	103

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर परिषद् में कर्मचारियों की भारी कमी है। कुल स्वीकृत बल 138 के विरूद्ध कार्यरत बल मात्र 35 था। अर्थात नगर परिषद में लगभग 75 प्रतिशत कर्मचारी की कमी है। अधिदर्शक, सहायक सह लेखपाल, सहायक, तहसीलदार, जमादर, मलबह निरिक्षक, अनुसेवक भंडारपाल, सफाईकर्मी आदि महत्वपूर्ण पद रिक्त है। महत्वपूर्ण पद के रिक्त रहने से नगर परिषद का कार्य प्रभावित हो रहा था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. रिक्त पदों को भरने के हेतु सरकार से किए गए अनुरोध का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्वीकृत बल सें संबधित नगर विकास विभाग का पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. कुल स्वीकृत बल के विरूद्ध मानदेय पर नियुक्ति कर्मचारियों से संबंधित संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि स्वीकृत रिक्त पदों पर सरकार से रोक रहने के कारण स्थायी बहाली नहीं किया जा सका है। दैनिक मजदूरी एवं मानदेय पर कर्मियो को रखकर काम कराया जा रहा है। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई अविलंब की जाय।

टिप्पणी– 2 द्वि– प्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 4 के अनुसार सभी नगरपालिकाओं को अपने लेखा पुस्तकों को द्वि--प्रविष्टिय लेखांकन प्रणाली (Double entry system) के अनुसार संभूति लेखांकन प्रणाली (Accrual accounting system) का अनुसरण करते हुए रखेगी।

रोकड़ वही के जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा अपने लेखा पुस्तकों का संधारण द्वि–प्रविष्टिय लेखांकन प्रणाली (Double entry system) के अनुसार नही किया गया।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 4 का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। आपत्ति के जवाब में कहा गया कि प्रशिक्षण एवं कर्मियों की कमी के कारण द्वि–प्रविष्टिय प्रणाली में लेखाओं का संधारण नहीं किया जा रहा था। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि यथाशीघ्र नगर परिषद के लेखाओं का संधारण द्वि–प्रविष्टि प्रणाली में किया जाय एवं इसकी सूचना लेखापरीक्षा कार्यालय को दिया जाय।

–हस्ता0–
(शशिधर कांत)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I / स्था0नि0)

समुहिक संवर्द्धन विकास समिति कि□ानगंज

क्र0 सं0	समिति का नाम	वार्ड न0	अनुबंध की रा ि	अनुबंध की अवधि	प्रस्ता ि वत सौचा लय	प्रस्ता ि वत चापा कल	प्रथम अग्रिम	द्वितीय अग्रिम	तृतीय अग्रिम	चौथी अग्रिम	विविध प्राप्ति	कुल प्राप्ति	ब्यय की गयी रा ि	अव ेश रा ि	अनुपयुक्त रा ि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	असारी टोला	23	106388 8	31.3.15 से 31.3.2016	49		106388	319166			33092	458646	404500	54146	638334
2	सलीम बगीचा	23	943204	24.8.15 से 23.8.16	42	01	94320	282961			24524	401805	326000	75805	565923
3	माधवनगर	5	214948 8	23.12.15 से 22.12. 16	99		709331	709331	687836		123724	2230222	1472000	758222	42990
4	नूनीया बस्ती	4	764436	13.1.16 से 12.1.17	28	5	252263	188460	155055		39596	635374	460800	174574	168658
5	बिहाइन्ड मलेरिया ऑफीस	15	158497 6	27.5.15 से 26.5.16	73		158497	475492	443793	475495	64315	1617592	1090850	526742	31699
6	पोठीया ठेका भिन्जा	31	193942 0	313.15से 30.6.16	85	3	193942	581826	581826	451016	116832	1925442	1426050	499392	130810
7	माछमारा	31	225044 0	27.5.15से 26.5.16	95	6	225044	675132			17505	917681	226000	691681	1350264
8	मल्लाह बस्ती	6	369104	27.5.15 से 26.5.16	17		36910	110731	103349	110732	13205	374924	242900	132024	7382
9	कागजिया मोहल्ला	5	259022 4	27.5.15से 26.5.16	102	12	259022	777067	620095	514148	120794	2291126	1602600	688526	419892
10			136551 80		590	27						1085281 2	7251700	3601112	3355952

क्र0 सं0	कुल निर्मित सौचालय	कुल निर्मित चापाकल	ोश भौचालय	भोश चापाकल	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	अभियुक्ति
17	18	19	20	21	22	23	24
1	5				06962191022008	बैंक ऑफ कॉमर्स	द्वितीय भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन मे निर्मित सौचालय का वर्णन नही
2					33340100009063	बैंक ऑफ बरौदा	भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन मे निर्मित सौचालय का वर्णन नही
3	71		28		3148101005254	केनरा बैंक	तृतीय कि त की रा ि ा की उपयोगिता व भौतिक सत्यापन नही
4	23		5	5	3148101005253	केनरा बैंक	तृतीय कि त की रा ि ा की उपयोगिता व भौतिक सत्यापन नही
5	52		21		6324736530	इंडियन बैंक	चतुर्थ कि त की उपयागिता व भौतिक सत्यापन नही
6	71		14		1008191030029316		पत्र अथवा नोटिस निर्गत नही
7	11		84	6	1008191030034327	यु0बी0जी0बी0	नोटिस निर्गत नही
8	7		10		6324274325	इंडियन बैंक	तृतीय कि त की भौतिक व चौथी की भौतिक व उपयोगिता नही
9	75		27	12	6324274846	इंडियन बैंक	चतुर्थ कि त की उपयोगिता व भौतिक सत्यापन नही
10	331		189	23			